of National prestige. Really it is an unfortunate state of affairs what has happened in Nehru Gold Cup Competition.

In these circumstances I would demand a thorough inquiry and request Minister of Sports to make a statement on the floor of the House in this regard so that such things do not recur in future.

(iv) Working Conditions of Scientists in various research institutions

SHRI HARIKESH BAHADUR (Gorakhpur) : Under Rule 377, I make the following statement :

The number of suicides among scientists in the recent past has grown rapidly. The self-immolation by an Associate Professor of Biochemistry at the Pant Agricultural University on September 14, 1982 is the recent one. There have been some 25 suicides in the past 20 years. An institution-wise breakup shows that in ICAR and IARI as much as seven scientists have committed suicide in 1960, 1970, 1972, two in 1975, 1978 and 1980. One scientist who committed suicide was prominently highlighted. Four scientists committed suicide at the Bhabha Atomic Research Centre (BARC) in Bombay (in 1979, two in 1980, 1981). There were three suicides at the Roorkee University in 1979.

The reasons in most cases are reported to be supersession, nepotism in appointments, harassment, suffocating and humiliating working atmosphere.

Thus, to save science and scientists, there must be an effective independent machinery at the Government level to redress the grievances of aggrieved scientists, and relief be provided to those who had been undergoing injustices for years. At the same time, all scientists must be governed by a uniform policy in the matter of their service without discrimination, and these institutions must be subjected to parliamentary control, public scrutiny and judicial review, to provide safeguards to the scientists.

(ii) Financial Assistance for Bijnor Unit of Uttar Pradesh Sugar Corporation Ltd.

श्री मंगल राम प्रेमी (बिजनौर) : मैं अपने संसदीय क्षेत्र बिजनौर के अन्तर्गत 1934 में स्थापित उत्तर प्रदेश शुगर कारपोरेशन लिमिटेड यूनिट-बिजनौर चीनी मिल की जीर्ण-शीर्ण अवस्था की ओर सदन का ध्यान दिलाना चाहता हूं। इस मिल का राज्य सरकार ने दयनीय दशा को देखते हुए सन् 1971 में अधिग्रहण किया। तत्पश्चात् इसके विकास एवं आधुनिकीकरण के लिए पूरा प्रयास किया गया। लेकिन वर्तमान योजनानुसार इस मिल के आधुनिकीकरण एवं जीर्णोद्धार हेतु करीब 11 करोड़ रुपये की स्वीकृति मिली है। उक्त रकम का अब तक भुगतान न किये जाने के कारण इस चीनी मिल की क्षमता बिगड़ती जा रही है, जो अब 1100 टन प्रति दिन पेराई क्षमता पर आ गई है। बिजनौर उत्तर प्रदेश के गन्ना उत्पादक जिलों में विशिष्ट स्थान रखता है। इस दृष्टि से गन्ने की पैदावार बढ़ाने तथा चीनी मिल की क्षमता बढ़ाने हेतु आस्ट्रेलियन तकनीक के आधार पर एक योजना बनाई गई है, जिसके तहत इस मिल की क्षमता प्रतिदिन 4500 टन करने हेतु आगामी वित्तीय वर्ष के लिए 12-3-82 को लाइसेंस जारी कर दिया गया हैं। इस मिल की भावी योजनानुसार 4.80 करोड़ रुपये प्रदेश सरकार एवं शेष रकम केन्द्र सरकार वहन करेगी। इसके लिए सारी औपचारिकतायें पूरी कर ली गई है लेकिन उक्त रकम को केन्द्र सरकार द्वारा देने में विलम्ब किया जा रहा है। फलतः सारी योजना निरर्थक हो रही है।

साथ ही इस मिल पर जिले के गन्ना किसानों का करीब 33 लाख रुपये वर्ष 1981-82 का शेष है और फिलहाल भुगतान किये जाने की कोई सम्भावना नहीं है। इस कारण किसान गन्ना उत्पादन करने में असमर्थ हो जायेंगे। मिल कर्मचारी एवं श्रमिकों को समय पर वेतन